

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, झुन्डु

पीठासीन अधिकारी :-

मुन्नीराम बागडिया
(आर० ए० एस०)

अपील संख्या :- 12/2017

यासीन पुत्र रहीमबक्स जाति व्यापारी निवासी बागापड़ता की ढाणी तहसील मलसीसर
-अपीलान्त

-बनाम-

राजस्थान सरकार जारिये तहसीलदार तलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्डु।
-रेसपोडेन्ट

प्रथम अपील धारा 75 राज.भू. राजस्व अधिनियम 1956 खिलाफ निर्णय दिनांक 20.12.2016 बअदालत तहसीलदार मलसीसर मुकदमा उनवानी सरकार बनाम यासीन मु०न० 01/2014 अ० धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

उपरिस्थिति :-

1. श्री विनोद कुमार गिल
2. श्री श्रवण सीनी, एडवोकेट

- अपीलान्त की ओर से।
- राजकीय अधिवक्ता की ओर से।

-: निर्णय :-

दिनांक. 17.11.2017

उक्त अपील विरुद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 20.12.2016 उनवानी सरकार बनाम यासीन मु.न. 01/2014 अ.घा. 91 राज. भू-राज. अधि. 1956 न्यायालय तहसीलदार मलसीसर के विरुद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि :- भूमि ख.न. 718 रकबा 7.08 हैक्टर भूमि में सम्पूर्ण में आबादी बसी हुई है उक्त भूमि बाबत केडिया परिवार को पट्टे दिये गये थे। उक्त भूमि के पट्टे जो केडिया परिवार को दिये गये वो पट्टे जागीर कमिश्नर द्वारा सत्यापित है। उक्त पट्टों के आधार पर विक्रय पत्र तसदीक हुये है एक तरफ अदालत मातहत विक्रय पत्र तसदीक कर रही है। दुसरी तरफ 91 की कार्यवाही कर रही है। दोनो विरोधाभाषी है। अदालत मातहत ने हल्का पटवारी के बयान लिये है परन्तु उक्त बयानों में जो तथ्य आये है उन पर गौर नहीं किया है उक्त जगह 450 घरों की आबादी मानी है अदालत मातहत ने पटवारी के बयानों पर विश्लेषण सही नहीं किया है। उक्त भूमि ना तो आवंटित है ना नियमन की हुई है उक्त भूमि के पट्टे जागिरदारों द्वारा जारी किये गये थे। जागिरदारों द्वारा सत्यापित किये गये थे। उक्त भूमि पर 91 की कार्यवाही नहीं चल सकती। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर निर्णय अदालत मातहत दिनांक 20.12.16 निरस्त फरमाया जायें।

अपील दर्ज रजिस्टर को जाकर रेसपोडेन्ट को तारीख पेशी नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।



अति. जिला कलेक्टर
झुन्डु

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दीहराया एवं कथन किया कि भूमि ख.न. 718 रकबा 7.06 हैक्टर भूमि में सम्पूर्ण में आबादी बसी हुई है उक्त भूमि बाबत केडिया परिवार को पट्टे दिये गये थे। उक्त भूमि के पट्टे जो केडिया परिवार को दिये गये वो पट्टे जागीर कमिश्नर द्वारा सत्यापित है। उक्त पट्टों के आधार पर विक्रय पत्र तसदीक हुये है एक तरफ अदालत मातहत विक्रय पत्र तसदीक कर रही है। दुसरी तरफ 91 की कार्यवाही कर रही है। दोनो विरोधाभाषी है। अदालत मातहत ने हल्का पटवारी के बयान लिये है परन्तु उक्त बयानों में जो तथ्य आये है उन पर गौर नहीं किया है उक्त जगह 450 घरों की आबादी मानी है अदालत मातहत ने पटवारी के बयानों पर विशेषण सही नहीं किया है। उक्त भूमि ना तो आंवटित है ना नियमन की हुई है उक्त भूमि के पट्टे जागिरदारों द्वारा जारी किये गये थे। जागिरदारों द्वारा सत्यापित किये गये थे। उक्त भूमि पर 91 की कार्यवाही नहीं चल सकती। अदालत मातहत ने उक्त गलत रिपोर्ट को आधार बनाकर निर्णय पारित किया है, जो अपास्त होने योग्य है।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मलसीसर अपीलान्ट द्वारा ग्राम डाणी बागा पडतान के भूमि ख0न0 718 कुल रकबा 7.06 है0 किस्म चारागाह में से रकबा 108 वर्गमीटर भूमि पर पक्की दुकान बनाकर अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिचार अवैध होने के कारण विधिक प्रक्रिया के अनतर्गत विधिसमत कार्यवाही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज होने योग्य है।

मैंने पत्रावली एवं मिसल मातहत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मलसीसर के निर्णय दिनांक 20.12.2016 को अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट का कथन है कि वादग्रस्त भूमि मकबूजा ठिकाना की भूमि थी जिसका इन्द्राज मिसल हकियत सम्वत 1999 में दर्ज है जिसके पट्टे ठिकाना ने सम्वत 14.04.1954 में जारी किये थे। उक्त पट्टे जागिर कमिश्नर द्वारा सत्यापित है। तथा तहसीलदार मलसीसर ने ही उप पंजियक कि हैसियत से विक्रय पत्र तसदीक किये है तथा दूसरी तरफ तहसीलदार मलसीसर ही 91 का नोटिस दे रहा है जो विरोधाभाषी है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।



अति. जिला कलेक्टर
झंझार

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मलसीसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.12.2017 को खारिज किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार उदयपुरवाटी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे स्वयं वादग्रस्त भूमि का मीका निरीक्षण कर, पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। मिसल मातहत अदालत आदेश की प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(रमेश आरिठ बागड़िया)
अति० जिला कलक्टर
झुझुनू

निर्णय आज दिनांक 17-11-2017 को मेरे द्वारा अलग से टर्किट करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(रमेश आरिठ बागड़िया)
अति० जिला कलक्टर
झुझुनू

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, झुन्डु

पीठासीन अधिकारी :-

मुन्नीराम बागडिया
(आर० ए० एस०)

अपील संख्या :- 12/2017

यासीन पुत्र रहीमबक्स जाति व्यापारी निवासी बागापड़ता की ढाणी तहसील मलसीसर
-अपीलान्त

-बनाम-

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्डु।
-रेसपोडेन्ट

प्रथम अपील धारा 75 राज.भू. राजस्व अधिनियम 1956 खिलाफ निर्णय दिनांक 20.12.2016 बअदालत तहसीलदार मलसीसर मुकदमा उनवानी सरकार बनाम यासीन मु०न० 01/2014 अ० धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

उपरिस्थिति :-

1. श्री विनोद कुमार गिल - अपीलान्त की ओर से।
2. श्री श्रवण सीनी, एडवोकेट - राजकीय अधिवक्ता की ओर से।

-: निर्णय :- दिनांक. 17.11.2017

उक्त अपील विरुद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 20.12.2016 उनवानी सरकार बनाम यासीन मु.न. 01/2014 अ.धा. 91 राज. भू-राज. अधि. 1956 न्यायालय तहसीलदार मलसीसर के विरुद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि :- भूमि ख.न. 718 रकबा 7.08 हैक्टर भूमि में सम्पूर्ण में आबादी बसी हुई है उक्त भूमि बाबत केडिया परिवार को पट्टे दिये गये थे। उक्त भूमि के पट्टे जो केडिया परिवार को दिये गये वो पट्टे जागीर कमिश्नर द्वारा सत्यापित है। उक्त पट्टों के आधार पर विक्रय पत्र तसदीक हुये है एक तरफ अदालत मातहत विक्रय पत्र तसदीक कर रही है। दुसरी तरफ 91 की कार्यवाही कर रही है। दोनों विरोधाभासी है। अदालत मातहत ने हल्का पटवारी के बयान लिये है परन्तु उक्त बयानों में जो तथ्य आये है उन पर गौर नहीं किया है उक्त जगह 450 घरों की आबादी मानी है अदालत मातहत ने पटवारी के बयानों पर विश्लेषण सही नहीं किया है। उक्त भूमि ना तो आवंटित है ना नियमन की हुई है उक्त भूमि के पट्टे जागिरदारों द्वारा जारी किये गये थे। जागिरदारों द्वारा सत्यापित किये गये थे। उक्त भूमि पर 91 की कार्यवाही नहीं चल सकती। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर निर्णय अदालत मातहत दिनांक 20.12.16 निरस्त फरमाया जायें।

अपील दर्ज रजिस्टर को जाकर रेसपोडेन्ट को तारीख पेशी नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।



अति. जिला कलेक्टर
झुन्डु